



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2009/माघ 20, 1930

No. 73]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2009/MAGHA 20, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 84(अ).—केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2008 का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, सा.का.नि. सं. 522 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिनों की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 21 जुलाई, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) विनिर्दिष्ट रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 115 में, -

(क) उपनियम (2) के खंड (i) में तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु बीआई प्रकार के ईंधन पर प्रचालित सीएनजी/एलपीजी मोटर यानों की दशा में केवल सीएनजी/एलपीजी विधि के संबंध में ही परीक्षण किया जाएगा।

(ख) उपनियम (14) के खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

(च) 1 अप्रैल, 2010 से विनिर्मित दुपहिए और तिपहिए यान के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम-III) इस प्रकार होंगे:-

यान का प्रवर्ग	प्रदूषक	टीए = सीओपी मानक (ग्रा/किमी)	डी एफ (ह्रास कारक)
(1)	(2)	(3)	(4)
दुपहिया (गैसोलीन)	सीओ	1.0	1.2
	एचसी+एनओएक्स	1.0	1.2
तिपहिया (गैसोलीन)	सीओ	1.25	1.2
	एचसी+एनओएक्स	1.25	1.2
दुपहिया और तिपहिया (डीजल)	सीओ	0.50	1.1
	एचसी+एनओएक्स	0.50	1.0
	पीएम	0.05	1.2

टिप्पण :

- (क) सीएनजी विधि से प्रचालित यानों के लिए नियम 115-ख के उपबंध लागू होंगे।
(ख) एलपीजी विधि से प्रचालित यानों के लिए नियम 115-ग के उपबंध लागू होंगे।
- डीजल और गैसोलीन यानों के लिए निर्देश ईंधन वह होगा जो क्रमशः उपाबंध- IVच और उपाबंध-IVछ में है और सीएनजी और एलपीजी के लिए निर्देश ईंधन उसी प्रकार वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध होगा।

3. गैसोलीन और डीजल यान के लिए वाणिज्यिक ईंधन, डीजल के लिए बीआईएस विनिर्देश आईएस : 1460-2005 (5वां पुनरीक्षण) और गैसोलीन के लिए आईएस : 2796-2008 (संशोधन संख्या I- जनवरी, 2009) (चौथा पुनरीक्षण) के अनुसार होगा, वाणिज्यिक सीएनजी और एलपीजी के लिए विनिर्देश वह होंगे जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।
4. नियम 115 के उपनियम 12 के खंड (क), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) के उपबंध, उनके परन्तुक के सिवाय, उक्त यानों को लागू होंगे।
5. डीजल यानों की दशा में, इंजन शक्ति की माप इंजन डाइनामोमीटर पर की जाएगी और जब परीक्षण समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग IV के अनुसार होगा तब मापी गई शक्ति समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग IV के अध्याय 1 में विनिर्दिष्ट शक्ति के अनुरूप होगी।
6. (i) इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन/सीएनजी/एलपीजी यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
(ii) इसमें विनिर्दिष्ट डीजल यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) का अनुपालन करेंगे।

(छ) 1 अप्रैल, 2010 से ही विनिर्मित चार पहिए वाले यानों के संबंध में इस उपनियम के उपबंध, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद शहरों, जिसके अंतर्गत सिकंद्राबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर और आगरा भी हैं, के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे।

(ग) उपनियम (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम, 1 अप्रैल, 2010 से अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्

- (15) प्रप्रवर्गएम और प्रप्रवर्गएन यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम IV) -
(क) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में भारत प्रक्रम IV के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद शहरों जिसके अंतर्गत सिकंद्राबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर भी हैं, में उन शहरों की अधिकारिता के भीतर अंतर-राज्यीय अनुज्ञप्ति या राष्ट्रीय अनुज्ञप्ति या अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञप्ति पर चलने वाले चार पहिया वाले परिवहन यानों के सिवाय प्रवृत्त होंगे।

स्पष्टीकरण - उपनियम (14) और उपनियम (15) के प्रयोजनों के लिए "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (च) में उसका है।

(ख) भारत प्रक्रम IV के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक इस प्रकार होंगे :-

(i) 3500 किग्रा. से अनधिक सकल यान भार के साथ 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रप्रवर्गएम और प्रप्रवर्गएन, भारत प्रक्रम IV के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक इस प्रकार होंगे :-

टीए और सीओपी के लिए सीमा मान									
प्रवर्ग	श्रेणी	संदर्भ द्रव्यमान (आरड ब्ल्यू) (किग्रा.)	कार्बन मोनोक्साइड (सीओ) का द्रव्यमान (ग्रा/किग्रा.)		हाइड्रो कार्बन (एचसी) का द्रव्यमान (ग्रा/किग्रा)	नाइट्रोजन के आक्साइड (एनओएक्स) का द्रव्यमान (ग्रा/किग्रा)		हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के आक्साइड का संयुक्त द्रव्यमान (एचसी+एनओएक्स) (ग्रा/किग्रा)	विवक्तों का द्रव्यमान (पीएम) (ग्रा/किग्रा)
			गैसोलीन	डीजल	गैसोलीन	गैसोलीन	डीजल	डीजल	डीजल
एम*	-	सभी	1.00	0.50	0.10	0.08	0.25	0.30	0.025
एन ₁ एवं एम**	I	आरड ब्ल्यू ≤ 1305	1.00	0.50	0.10	0.08	0.25	0.30	0.025
	II	1305 < आरड ब्ल्यू ≤ 1760	1.81	0.63	0.13	0.10	0.33	0.39	0.04
	III	1760 < आरड ब्ल्यू	2.27	0.74	0.16	0.11	0.39	0.46	0.06

* ये सीमाएं ऐसे यानों को लागू नहीं होंगे जो छह से अधिक व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है या जिनका सकल यान भार 2500 किग्रा से अधिक है।

** ये सीमाएं ऐसे यानों को लागू होंगी जो छह से अधिक व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है या ऐसे यानों को, जिनका सकल यान भार 2500 किग्रा से अधिक है।

टिप्पण :

1. परीक्षण चैंसिस डायनमोमीटर पर किया जाएगा।
2. परीक्षण जिनके अंतर्गत चालन चक्र भी है, ऐसा होगा जो निम्नलिखित उपांतरणों के साथ उपनियम (10) के उपबंधित है :-

- (i) निकास गैस नमूना, इंजन उपाबंध - IV ड में निर्दिष्ट स्टार्ट होने की प्रक्रिया के आरंभ से होना चाहिए ।
- (ii) चालन चक्र उपाबंध - IV ड में निर्दिष्ट 90 कि.मी. प्रति घंटे की अधिकतम गति पर होगा ।
3. उत्पादन अनुकूलता (सी ओ पी) प्रयोजनों के लिए मानकों में कोई छूट नहीं होगी ।
4. (i) सी एन जी से चलने वाले यानों की दशा में नियम 115ख के उपाबंध लागू होंगे ।
(ii) एल पी जी से चलने वाले यानों की दशा में नियम 115ग के उपाबंध लागू होंगे ।
5. निर्देशित ईंधन वह होगा जो क्रमशः गैसोलीन यानों के लिए उपाबंध IV ज में, डीजल यानों के लिए उपाबंध IV ट में, सी एन जी (सी 20 एवं जी 25) यानों के लिए उपाबंध IV ठ में, एल पी जी (ईंधन क और ईंधन ख) यानों के लिए उपाबंध IV ड में विनिर्दिष्ट है । उपाबंध IV ठ और उपाबंध IV ड के अनुसार विनिर्दिष्ट ईंधन का प्रकार अनुमोदन और उत्पादन की अनुकूलता के लिए उपयोग किया जाएगा और उसके एक वर्ष पश्चात् वह परीक्षण अभिकरणों के लिए उपलब्ध होगा । तब तक, वाणिज्यिक सी एन जी / एल पी जी ईंधन का उपयोग किया जाएगा ।
6. गैसोलीन से चलने वाले यानों के लिए कोई क्रैककेस उत्सर्जन नहीं होगा ।
7. गैसोलीन से चलने वाले यानों से वाष्प उत्सर्जन 2.0 ग्राम/परीक्षण से अधिक नहीं होगा । गैसोलीन से चलने वाले यान एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में विनिर्दिष्ट समय समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया के अनुसार होंगे ।
8. उत्पादन अनुकूलता (सी ओ पी) परीक्षण प्रक्रिया ऐसी होगी जो समय-समय पर यथासंशोधित एमओएसआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी-115/116 में वर्णित है ।
9. उत्पादन अनुकूलता (सी ओ पी) आवृत्ति और नमूना :
(i) प्रत्येक यान मॉडल जिसके अंतर्गत उसके परिवर्ती भी हैं, के लिए उत्पादन अनुकूलता अवधि वर्ष में एक बार होगी ।
(ii) जहां 6 मास में उत्पादन मात्रा 250 प्रति मॉडल, जिसके अंतर्गत उसके परिवर्ती भी हैं, से कम है, वहां नियम 126-क के परंतुक में अंतर्विष्ट उपाबंध लागू होंगे ।
10. इस उपनियम के खंड (क) में उल्लिखित स्थानों के संबंध में वाणिज्यिक गैसोलीन और डीजल ईंधन उपाबंध IV ट और उपाबंध IV ण के अनुसार होगा और अन्य सभी स्थानों के संबंध में वाणिज्यिक ईंधन डीजल के लिए बीआईएस विनिर्देश आईएस: 1460-2005 (पांचवां पुनरीक्षण) और गैसोलीन के लिए आईएस: 2796-2008 (संशोधन सं० I- जनवरी, 2008) (चौथा पुनरीक्षण) के अनुसार भारत प्रक्रम-III होगा । वाणिज्यिक सीएनजी और एलपीजी के लिए विनिर्देश वह होगा जो समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।

11. 3500 किग्रा से अनधिक सकल यान भार के साथ प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन यानों के लिए -

(i) ह्रास कारक निम्नलिखित प्रकार से होगा -

इंजन वर्ग	ह्रास कारक				
	सीओ	एचसी	एनओएक्स	एचसी : एनओएक्स	पी एम
गैसोलीन/गैसीयस ईंधन युक्त इंजन	1.2	1.2	1.2	लागू नहीं	
डीजल इंजन	1.1	लागू नहीं	1.0	1.0	1.2

- (ii) अनुकल्पी रूप से, यान विनिर्माता एमओएसआर टीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार ह्रास कारक के मूल्यांकन के लिए 80,000 कि.मी. के आयु निर्धारण परीक्षण का चयन कर सकेंगे।
- (iii) 10वें लेप और 11वें लेप पर अधिकतम लेप गति क्रमशः 72 कि.मी./घंटा और 90 कि.मी./घंटा होगी।
- (iv) उपर्युक्त आयु निर्धारण परीक्षण नियम 126 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित परीक्षण अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
12. डीजल यानों के लिए दृश्य प्रदूषक तत्वों (धूम) का उत्सर्जन, धूम घनत्व की मान सीमा से अधिक नहीं होगा, जब इसे नियम 115 के उपनियम (9) के उपाबंध -1 के अनुसार, विभिन्न अभिहित प्रवाह के लिए प्रकाश के अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त किया गया हो और जब पूरे भार के साथ स्थिर गति पर परीक्षण किया जाए। ये धूम सीमाएं, सुधार कारक के बगैर हैं और वातावरण कारक को 0.98 से 1.02 तक बनाए रखने के लिए इंजन को प्रदाय की गई अनुकूलित वायु के साथ इंजनों का परीक्षण किया जाना है।
13. डीजल यानों की दशा में, इंजन शक्ति की माप इंजन डायनमोमीटर पर की जाएगी और मापी गई शक्ति, उस विनिर्दिष्ट शक्ति से भिन्न नहीं होगी जो समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग IV के अध्याय 6 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किए जाने पर समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग IV के अध्याय 1 में दी गई है।
14. (i) इस उप खंड में विनिर्दिष्ट सभी गैसोलीन/सीएनजी/एलपीजी यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
(ii) इस उप खंड में विनिर्दिष्ट सभी डीजल ईंधन वाले यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
15. 3500 कि.ग्रा. से अनधिक सकल यान भार वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यान उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऐसी ऑन- बोर्ड निदान (ओबीडी) प्रणाली से सुसज्जित होंगे जिसमें एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में अधिकथित और समय-समय पर यथा

संशोधित प्रक्रिया के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 से ही विनिर्मित यानों के लिए कंप्यूटर मेमोरी में भंडारित त्रुटि संकेतों द्वारा खराबी वाले संभावित क्षेत्र की पहचान करने की क्षमता होगी। उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन- बोर्ड निदान (ओबीडी) प्रणाली वह होगी जो नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट है:

सारणी-1

उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन- बोर्ड डायग्नोस्टिक (ओबीडी) पद्धति

क्रम सं०	इंजन का प्रकार	यान का प्रवर्ग	वर्ष	
			से ही विनिर्मित ओबीडी यान	से ही विनिर्मित ओबीडी यान
1.	गैसोलीन से चलने वाले इंजन	एम1 एवं एम2 (3,500 किग्रा सकल यान भार से कम)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
2.	गैसोलीन से चलने वाले इंजन	एन1	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
3.	एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले इंजन	एम1 एवं एम2 (3,500 किग्रा सकल यान भार से कम)	---	1 अप्रैल 2013
4.	एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले इंजन	एन1	---	1 अप्रैल 2013
5.	संपीडन इग्नीशन इंजन	एम1 एवं एम 2 (3,500 किग्रा सकल यान भार से कम)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
6.	संपीडन इग्नीशन इंजन	एन1	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
7.	सभी	3,500 किग्रा से अधिक वाले यान	---	1 अप्रैल 2013

सारणी II

सभी पॉजीटिव इग्नीशन यान		
ओबीडी मॉनिटरिंग मर्दे		
मॉनिटरिंग मर्दे	से ही विनिर्मित भारतीय ओबीडी I यान	से ही विनिर्मित भारतीय ओबीडी II यान
कैटेलिस्ट	-	1 अप्रैल 2013
मिसफायर	-	1 अप्रैल 2013
ओ ₂ (आक्सीजन) संवेदक	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
द्वितीय वायु पद्धति (यदि उपलब्ध हो)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
शीतलक तापमान	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
ईजीआर, (एग्जॉस्ट गैस पुनः संचरण) (यदि उपलब्ध हो)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013

ईंधन टंकी का रिसना और उद्घाटन	-	1 अप्रैल 2013
ईंधन पद्धति	-	1 अप्रैल 2013
उत्सर्जन नियंत्रण पद्धति/संघटक (व्यापक संघटक)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
पावर ट्रेन घटकों से संबंधित सभी उत्सर्जन के लिए सर्किट निरंतरता	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
एमआईएल (अपक्रिया सूचक लैंप) चालू होने के बाद तय की गई दूरी	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013

सारणी III

सभी कंप्रेशन इग्नीशन यान		
ओबीडी मॉनिटरिंग मर्दे		
मॉनिटरिंग मर्दे	से ही विनिर्मित भारतीय ओबीडी I यान	से ही विनिर्मित ओबीडी I यान
कैटेलिस्ट	-	1 अप्रैल 2013
इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन पद्धति	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
विविक्त जल (यदि उपलब्ध हो)	-	1 अप्रैल 2013
शीतलक तापमान	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
ईजीआर, (एग्जॉस्ट गैस पुनः संचरण) (यदि उपलब्ध हो)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
ईंधन पद्धति	-	1 अप्रैल 2013
उत्सर्जन नियंत्रण पद्धति/संघटक (व्यापक संघटक)	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
पावर ट्रेन घटकों से संबंधित सभी उत्सर्जन के लिए सर्किट निरंतरता	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013
डिस्टेंस ट्रेवल्स सिन्स एमआईएल (मालफंक्शन इंडीकेटर लैम्प) ओएन	1 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2013

16. 1 अप्रैल, 2013 से ही विनिर्मित यानों के लिए, उत्सर्जन नियंत्रण हेतु ऑन-बोर्ड निदान-II (ओबीडी-II) पद्धति द्वारा उत्सर्जन संबंधी संघटक या पद्धति की निष्फलता, जब उत्सर्जन में निष्फलता का परिणाम निम्नलिखित सारणी में दी गई सीमाओं से ऊपर हो तो एमओएसआरटीएच / सीएमवीआर/ टीएपी -115/116 में अधिकथित और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार दर्शित होनी चाहिए ।

सारणी IV

वर्ग	श्रेणी	संदर्भ द्रव्यमान	कार्बन मोनोक्साइड का द्रव्यमान		हाइड्रोकार्बन का द्रव्यमान		नाइट्रोजन आक्साइड का द्रव्यमान		द्विकोण का द्रव्यमान
		(आरडब्ल्यू)	(सीओ)		(एचसी)		(एनओएक्स)		(पीएम)
		(किया)	(ग्रा/किया)		(ग्रा/किया)		(ग्रा/किया)		(ग्रा/किया)
			पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	पेट्रोल	डीजल	डीजल
एम*	-	सभी	3.2	3.2	0.4	0.4	0.6	1.2	0.18
एन1 एवं एम**	I	आरडब्ल्यू ≤ 1305	3.2	3.2	0.4	0.4	0.6	1.2	0.18
	II	1305 < आरडब्ल्यू ≤ 1760	5.8	4.0	0.5	0.5	0.7	1.6	0.23
	III	1760 < आरडब्ल्यू	7.3	4.8	0.6	0.6	0.8	1.9	0.28

* ये सीमाएं ऐसे यानों को लागू नहीं होंगी जो छह से अधिक व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है या जिसका सकल यान भार 2500 किग्रा से अधिक है।

** ये सीमाएं ऐसे यानों को लागू नहीं होंगी जो छह से अधिक व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है या ऐसे यानों को जिसका सकल यान भार 2500 किग्रा से अधिक है।

(ii) 1 अप्रैल, 2010 को अथवा उसके पश्चात् विनिर्मित 3,500 किग्रा से अधिक सकल यान भार वाले यान चाहे वे डीजल इंजन या सीएनजी इंजन या एलपीजी इंजन वाले हों, निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे :-

(अ) डीजल इंजनों के लिए

टाइप अनुमोदन और सी ओ पी के लिए मान सीमाएं				
इंजन स्थिर स्थिति चक्र (ईएससी) परीक्षण				इंजन भार प्रतिक्रिया (ईएलआर) परीक्षण
सीओ (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	एचसी (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	एनओएक्स (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	पीएम (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	धूम (एम ⁻¹)
1.5	0.46	3.5	0.02	0.5

(आ) डीजल इंजनों, सीएनजी इंजनों या एलपीजी इंजनों के लिए

इंजन अस्थायी चक्र (ईटीपी) परीक्षण

सीओ (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	एनएमएचसी ⁽¹⁾ (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	सीएच ₄ ⁽²⁾ (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	एनओएक्स (ग्रा/केडब्ल्यूएच)	पीएम ⁽³⁾ (ग्रा/केडब्ल्यूएच)
4.0	0.55	1.1	3.5	0.03

- (1) विनिर्माता नॉन-मिथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी) के द्रव्यमान की माप करने के बजाए कुल हाइड्रोकार्बन के द्रव्यमान की माप करने का निर्वचन कर सकेंगे। इस दशा में टीएचसी के द्रव्यमान की सीमा वही होनी चाहिए जो एनएमएचसी के लिए है।
- (2) केवल सीएनजी इंजन के लिए
- (3) केवल डीजल इंजन के लिए

टिप्पण -

1. परीक्षण इंजन डायनमोमीटर पर किया जाएगा।
2. उत्पादन अनुकूलता (सी ओ पी) प्रयोजनों के लिए मानकों में कोई छूट नहीं होगी।
3. डीजल ईंधन वाले इंजनों से चलने वाले यानों की दशा में, गैसीय विविक्त उत्सर्जन इंजन स्थिर स्थिति चक्र और इंजन अस्थायी चक्र के अनुसार होंगे और परीक्षण एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और जो समय-समय पर संशोधित इंजन भार प्रतिक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
4. सीएनजी या एलपीजी ईंधन वाले इंजनों से चलने वाले यानों की दशा में, गैसीय उत्सर्जन केवल समय-समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में यथाविनिर्दिष्ट इंजन अस्थायी चक्र के आधार पर अवधारित किए जाएंगे।
5. धूम अपारदर्शिता को समय-समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटी एच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग-12 में यथाविनिर्दिष्ट इंजन भार प्रतिक्रिया (ईएलआर) परीक्षण के आधार पर अवधारित किया जाएगा।
6. सी एन जी या एल पी जी विधि से चलने वाले यानों की दशा में क्रमशः नियम 115-ख और 115-ग के उपबंध लागू होंगे।
7. निर्देशित ईंधन वह होगा जो क्रमशः डीजल यानों के लिए उपाबंध IV ट में, सी एन जी (जी 20 और जी 25) यानों के लिए उपाबंध IV ठ में, एल पी जी (ईंधन क और ईंधन ख) यान के लिए उपाबंध IV ड में विनिर्दिष्ट है। उपाबंध IV ठ और उपाबंध IV ड के अनुसार विनिर्दिष्ट ईंधन का प्रकार अनुमोदन और उत्पादन अनुकूलता के लिए उपयोग किया जाएगा, उसके एक वर्ष पश्चात् वह परीक्षण अभिकरणों के लिए उपलब्ध होगा। तब तक, वाणिज्यिक सी एन जी / एल पी जी ईंधन का उपयोग किया जाएगा।
8. उत्पादन अनुकूलता (सी ओ पी) परीक्षण प्रक्रिया वह होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 में वर्णित है।
9. उत्पादन अनुकूलता (सी ओ पी) आवृत्ति और नमूना :
 - (i) प्रत्येक इंजन मॉडल जिसके अंतर्गत उसका परिवर्ती भी है (हैं) के लिए उत्पादन अनुकूलता अवधि वर्ष में एक-बार होगी।

- (ii) जहां 6 माह में उत्पादन मात्रा 250 प्रति मॉडल, जिसके अंतर्गत उसके परिवर्ती भी हैं, से कम है वहां नियम 126-क के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।
10. डीजल यानों के लिए दृश्य प्रदूषक तत्वों (धूम) का उत्सर्जन, नियम 115 के उपनियम (9) के उपाबंध झ के अनुसार धूम घनत्व के मान सीमा से अधिक नहीं होगा। ये धूम सीमाएं, सुधार कारक के बगैर हैं और वातावरण कारक को 0.98 से 1.02 तक बनाए रखने के लिए इंजन को प्रदाय की गई अनुकूलित वायु के साथ इंजनों का परीक्षण किया जाना है।
11. इस उपनियम के खंड (क) के उप खंड (i) में उल्लिखित स्थानों के संबंध में वाणिज्यिक डीजल ईंधन उपाबंध IVण के अनुसार होगा और सभी अन्य स्थानों के संबंध में वाणिज्यिक ईंधन, डीजल के लिए बीआईएस विनिर्देश आईएस: 1460-2005 (पांचवां पुनरीक्षण) के अनुसार होगा। वाणिज्यिक सीएनजी और एलपीजी के लिए विनिर्देश वह होगा जो समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।
12. 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित 3500 किग्रा से अधिक सकल यान भार के यानों के लिए -
- (i) ह्रास कारक निम्नलिखित सारणी में दिए गए अनुसार होंगे -

इंजन प्रकार	परीक्षण चक्र	सीओ	एचसी	एनएमएच सी	सीएच ₄	एनओएक्स	पीएम
डीजल इंजन	ईएससी	1.1	1.05	-	-	1.05	1.1
	ईटीसी	1.1	1.05	-	-	1.05	1.1
सीएनजी, एलपीजी या गैसीय ईंधन वाले इंजन	ईटीसी	1.1	1.05	1.05	1.2	1.05	-

- (ii) अनुकल्पी रूप से, यान विनिर्माता, ऐसे ह्रास कारक के मूल्यांकन का विकल्प कर सकेंगे जो समय-समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में विनिर्दिष्ट है।

यान का प्रवर्ग जिसमें इंजन का प्रतिष्ठापन किया जाएगा	न्यूनतम सेवा संचयन अवधि
एन1 यानों का प्रवर्ग	100,000 किमी
एन2 यानों का प्रवर्ग	125,000 किमी
16000 किग्रा के बराबर या उससे कम के सकल यान भार के एन3 यानों का प्रवर्ग	125,000 किमी
16000 किग्रा के ऊपर के सकल यान भार के एन3 यानों का प्रवर्ग	167,000 किमी

एम2 यानों का प्रवर्ग	100,000 किमी
7500 किग्रा के बराबर या उससे कम के सकल यान भार के एम3 यानों का प्रवर्ग	125,000 किमी
7500 किग्रा के ऊपर के सकल यान भार के एम3 यानों का प्रवर्ग	167,000 किमी

उपर्युक्त आयु निर्धारण परीक्षण अनुमोदित परीक्षण अभिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

13. डीजल यानों की दशा में, इंजन शक्ति की माप इंजन डायनमोमीटर पर की जाएगी और मापी गई शक्ति उस विनिर्दिष्ट शक्ति से भिन्न नहीं होगी, जो समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग IV के अध्याय 6 में अधिकृत प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण किए जाने पर समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/ सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग IV के अध्याय 1 में दी गई हैं।
14. (i) इस उप खंड में विनिर्दिष्ट सभी सीएनजी एवं एलपीजी यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
(ii) इस उप खंड में विनिर्दिष्ट सभी डीजल ईंधन वाले यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
15. इंजन वर्ग और वर्ग उपचार पद्धति के पश्चात् इंजन के टाइप अनुमोदन का विस्तार वह होगा जो समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 में वर्णित है।
16. इस उपखंड में विनिर्दिष्ट यान उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऐसे ऑन- बोर्ड निदान पद्धति से सुसज्जित होंगे जिसे एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में अधिकृत और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार 1 अप्रैल, 2013 से ही विनिर्मित यान के लिए कंप्यूटर मेमोरी में भंडारित त्रुटि संकेतों द्वारा खराबी वाले संभावित क्षेत्र की पहचान की क्षमता हो।
17. डीजल इंजन एनओएक्स द्वारा ह्रासकारक एयूएस 32 (जल यूरिया घोल) आईएसओ 22241-2006 के भाग 1 और भाग 2 के अनुरूप होंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 115 क में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

'(7) सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही विनिर्मित डीजल से चालित कृषि ट्रैक्टर भारत (ट्रेम) प्रक्रम III क का अनुपालन करेगा और जब आईएसओ 8178 भाग-4 (1996) 'सी 1' 8 मोड चक्र में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार टाइप अनुमोदन और उत्पादन अनुकूलता के लिए उसका परीक्षण किया जाता है तो उपनियम 2 में यथाउपबंधित दृश्यमान प्रदूषकों के अतिरिक्त उनके द्वारा उत्सर्जित (ग्राम प्रति किलोवाट/घंटा) कार्बन मोनाक्साइड (सीओ), हाइड्रोकार्बन

(एचसी) और नाइट्रोजन आक्साइड (एनओएक्स) और पार्टिकुलेट मैटर्स (पीएम) का औसत भार द्रव्यमान उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में दी गई सीमा से अधिक नहीं होगा ।'

सारणी 1

टाइप अनुमोदन और उत्पादन अनुकूलता के लिए मान सीमाएं

प्रवर्ग	से लागू	सीओ	एचसी+ एनओएक्स	पीएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 8 केडब्ल्यू	1.4.2010	5.5	8.5	0.8
8 <= केडब्ल्यू < 19	1.4.2010	5.5	8.5	0.8
19 <= केडब्ल्यू < 37	1.4.2010	5.5	7.5	0.6
37 <= केडब्ल्यू < 56	1.4.2011	5.0	4.7	0.4
56 <= केडब्ल्यू < 75	1.4.2011	5.0	4.7	0.4
75 <= केडब्ल्यू < 130	1.4.2011	5.0	4.0	0.3
130 <= केडब्ल्यू < 560	1.4.2011	3.5	4.0	0.2

टिप्पण :

1. परीक्षण इंजन डायनमोमीटर पर किया जाएगा ।
2. शुद्ध शक्ति (बगैर पंखे के) की माप के लिए परीक्षण प्रक्रिया एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 इश्यू सं० 3 के भाग IV के अनुसार होगी ।
3. दृश्यमान और गैसीय प्रदूषकों तथा पार्टिकुलेट मैटर्स के उत्सर्जन की माप के लिए परीक्षण प्रक्रिया एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग X (उपभाग क) के अनुसार होगी ।
4. परीक्षण ईंधन, उपाबंध IV त में यथा विनिर्दिष्ट निर्देश ईंधन होगा ।
5. जब परीक्षण नियम 115 क के उपनियम (3) में यथाउपबंधित अनुसार किया जाए तो दृश्यमान उत्पादों का उत्सर्जन उसमें दी गई मान सीमाओं से अधिक नहीं होगा ।
6. इंजन विनिर्माता सारणी-1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख से भारत (ट्रेम) प्रक्रम IIIक मानकों को पूरा करने के लिए एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के इश्यू सं. 3 के भाग X (उपभाग-ख) के उपाबंध V के अनुसार ह्रास कारक या सारणी 3 के अनुसार निश्चित ह्रास कारक का मूल्यांकन करने के लिए सारणी 2 में यथाविनिर्दिष्ट आयु निर्धारण परीक्षण के लए विकल्प कर सकेगा ।

सारणी 2

प्रवर्ग (शक्ति पट्टा)	उपयोगी जीवन (घंटे)
	(उत्सर्जन स्थायित्व अवधि)

<=19 केडब्ल्यू	3000
19< केडब्ल्यू <=37	5000
> 37 केडब्ल्यू	8000

सारणी 3

सीओ	एचसी	एनओएक्स	पीएम
1.1	1.05	1.05	1.1

7. उत्पादन अनुकूलता (सीओपी) प्रयोजनों के लिए मानकों में कोई छूट नहीं होंगी।
8. उत्पादन अनुकूलता (सीओपी) चयन प्रक्रिया एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग VI के अनुसार होगी।
9. उत्पादन अनुकूलता (सीओपी) बारंबारता एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग X (उपभाग क) के अनुसार होगी।
10. इंजन वर्ग और उपचार पद्धति के पश्चात् इंजन वर्ग के लिए टाइप अनुमोदन का विस्तार समय समय पर यथा संशोधित एमओएसआरटीएच/सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुकूलता

स्पष्टीकरण 1- 'इंजन वर्ग' पद के अंतर्गत उत्सर्जन स्तरों के लिए समान डिजाइन पैरामीटरों वाले इंजनों के प्रकार भी हैं।

स्पष्टीकरण 2- 'उपचार पद्धति के पश्चात् इंजन वर्ग' पद से 'ऐसी उपचार पद्धति के पश्चात् इंजन वर्ग' अभिप्रेत है यदि उसका क्रिस्टल, विविक्त जाल इत्यादि वाली उपचारी पद्धति के पश्चात् अनेक इंजनों में उपयोग किया जाता है तो एक इंजन परीक्षण पर आधारित हास कारक संपूर्ण श्रेणियों को लागू होगा।

4. उक्त नियमों के उपनियम 115 ख में -

(1) मद अ में -

(क) उप मद (झ) में खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् -

'(ग) क्रमशः दो पहिए वाले, तीन पहिए वाले और चार पहिए वाले यानों पर दो लीटर, तीन लीटर और पांच लीटर से अनधिक क्षमता के लिम्पहोम गैसोलीन टैंक से सज्जित और दोनों प्रकार के ईंधन के प्रचालन के विकल्प वाले मॉडल और रूपांतरण यान द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण छूट प्राप्त होंगे, इसके अंतर्गत वे सभी परीक्षण भी हैं जो गैसोलीन मोड में उपनियम (2), नियम 115 के उपनियम (14) के नीचे उल्लिखित टिप्पण 6 और टिप्पण 7 तथा उपनियम 15 के खंड (ख) के उप खंड (i) के टिप्पण 6, टिप्पण 7, टिप्पण 15 और टिप्पण 16 में विनिर्दिष्ट हैं।

(घ) प्रचलित उत्पादन अनुकूलता प्रक्रिया भी लागू होगी ।'

(ख) उप मद (II) के खंड (क) में उप खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

'(iv) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए वही टाइप अनुमोदन मानक लागू होंगे जो 3500 किग्रा से अनधिक सकल यान भार वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के लिए न्यूनतम भारत प्रक्रम IV उत्सर्जन मानकों और दुपहिया एवं तिपहिया यानों के लिए भारत प्रक्रम III उत्सर्जन मानकों के अध्यक्षीन हैं ।'

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (क) की सारणी में क्रम सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

(1)	(2)
"(iii) ईंधन खपत परीक्षण	अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 की क्रम सं. 31"

(2) मद आ में -

(क) उप मद (II) के खंड (ग) में उप खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

'(iv) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए जो टाइप अनुमोदन मानक लागू होंगे, चौपहिया यानों की दशा में न्यूनतम भारत प्रक्रम IV उत्सर्जन मानक और तिपहिया यानों की दशा में भारत प्रक्रम III उत्सर्जन मानकों के अध्यक्षीन होंगे ।'

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (क) की सारणी में क्रम सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

(1)	(2)
"(iv) ईंधन खपत परीक्षण	अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 की क्रम सं. 31"

(3) मद ग की सारणी में क्रम सं. (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

(1)	(2)
"(vii) ईंधन खपत परीक्षण	अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 की क्रम सं. 31"

(4) मद घ के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी अर्थात्:-
'घ लागू उत्सर्जन मानक

प्रवर्ग	लागू होने वाले उत्सर्जन मानक
(i) 3500 किग्रा के बराबर या उससे कम सकल यान भार के ओई सीएनजी प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के तिपहिया और दुपहिया यान ।	विद्यमान गैसोलीन मानक
(ii) गैसोलीन यानों से अनुरूपान्तरित 3500 किग्रा के बराबर या उससे कम सकल यान भार के सीएनजी प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यान ।	विद्यमान गैसोलीन मानक
(iii) डीजल यानों से अनुरूपान्तरित 3500 किग्रा के बराबर या उससे कम सकल यान भार के सीएनजी प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यान ।	विद्यमान डीजल मानक
(iv) 1 अप्रैल, 2010 तक विनिर्मित 3500 किग्रा से अधिक सकल यान भार के प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन यान के सीएनजी इंजन ।	13-मोड स्थिर स्थिति इंजन डायनमोमीटर परीक्षण या 13-मोड इंजन स्थिर स्थिति चक्र जो भी लागू हो, पर आधारित विद्यमान डीजल इंजन मानक
(v) 1 अप्रैल, 2010 से ही विनिर्मित 3500 किग्रा से अधिक सकल यान भार के प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन यान के सीएनजी इंजन ।	विद्यमान डीजल इंजन उत्सर्जन मानक'

5. उक्त नियमों के उपनियम 115 ग में -

(अ) उपनियम (2) में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

'(क) नए गैसोलीन यानों के संबंध में यान विनिर्माताओं द्वारा की गई एलपीजी फिटिंग की दशा में यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित किया गया प्रत्येक मॉडल नए यानों के प्रवर्ग उसके प्रयोग के स्थान के संबंध में यथा लागू प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुमोदित प्रकार का होगा ।'

(ii) खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ग) दो पहिए वाले, तीन पहिए और चार पहिए वाले यानों पर क्रमशः दो लीटर, तीन लीटर और पांच लीटर से अनधिक क्षमता के लिम्पहोम गैसोलीन टैंक से, सज्जित और दोनों प्रकार के ईंधन से प्रचालन के विकल्प वाले यान के मॉडलों और रूपांतर को द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षणों से जिसके अंतर्गत उपनियम (2), गैसोलीन पद्धति में नियम 115 के उपनियम 14 के खंड (ग) के नीचे उल्लिखित टिप्पण 6 और टिप्पण 7 और उपनियम 15 के खंड (ख) के उपनियम (i) के टिप्पण 6, टिप्पण 7, टिप्पण 15 और टिप्पण 16 के अधीन विनिर्दिष्ट सभी परीक्षण भी हैं, क्रैंक केस उत्सर्जन परीक्षण से छूट प्राप्त होंगे।

(घ) उत्पादन प्रक्रिया का विद्यमान अनुपालन भी लागू होगा।'

(ख) उपनियम (3) में, -

(i) खंड (क) में उप खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

'(iv) 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए वही टाइप अनुमोदन मानक लागू होंगे जो 3500 किलो से अनधिक सकल यान भार वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यानों के लिए न्यूनतम भारत प्रक्रम IV उत्सर्जन मानकों और दुपहिया एवं तिपहिया यानों के लिए भारत प्रक्रम III उत्सर्जन मानकों के अधीन हैं।'

(ii) खंड (ख) के उप खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

'(ii) निम्नलिखित प्रकार के यानों के लिए पृथक प्रकार का अनुमोदन आवश्यक होगा -

- (क) दो स्ट्रोक
- (ख) चार स्ट्रोक
- (ग) कार्बुरेटिड
- (घ) एकल प्वाइंट ईंधन
- (ड.) बहु - प्वाइंट ईंधन।'

(ग) उपनिमय (8) में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी अर्थात् :-

प्रवर्ग	लागू होने वाले उत्सर्जन मानक
(i) 3500 किग्रा के बराबर या उससे कम सकल यान भार के ओई सीएनजी प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के तिपहिया और दुपहिया यान :	विद्यमान गैसोलीन मानक
(ii) गैसोलीन यानों से अनुरूपान्तरित 3500 किग्रा के बराबर या उससे कम सकल यान भार के एलपीजी प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यान ।	विद्यमान गैसोलीन मानक
(iii) डीजल यानों से अनुरूपान्तरित 3500 किग्रा के बराबर या उससे कम सकल यान भार के एलपीजी प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यान ।	विद्यमान डीजल मानक
(iv) 1 अप्रैल, 2010 तक विनिर्मित 3500 किग्रा से अधिक सकल यान भार के प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन यान के एलपीजी इंजन ।	13-मोड स्थिर स्थिति इंजन डायनमोमीटर परीक्षण या 13-मोड इंजन स्थिर स्थिति चक्र जो भी लागू हो, पर आधारित विद्यमान डीजल इंजन मानक
(v) 1 अप्रैल, 2010 से ही विनिर्मित 3500 किग्रा से अधिक सकल यान भार के प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन यान के एलपीजी इंजन ।	विद्यमान डीजल इंजन उत्सर्जन मानक

6. उक्त नियमों के नियम 126 में 'द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलोजी, मानेसर' शब्दों के पश्चात् 'या नार्दन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिंसार (कंबाइन हार्वेस्टर के परीक्षण के लिए)' शब्द रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियमों में उपाबंध IV झ के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्

"उपाबंध - IV अ
[नियम 115(15) देखें]

गैसोलीन इंजनों से सुसज्जित परीक्षण यानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट ईंधन के तकनीकी विनिर्देश ।

मापदंड	इकाई	सीमाएं ⁽¹⁾		परीक्षण पद्धति
		न्यूनतम	उच्चतम	
रिसर्च ऑक्टेन नंबर, आरओएन		95.0	--	ईएन 25164
मोटर ऑक्टेन नंबर, एमओएन		85.0	-	ईएन 25163
15 डिग्री से0 पर घनत्व	किग्रा/एम3	740	754	आईएसओ 3675
रीड वाष्प दबाव	केपीए	56.0	60.0	प्र. ईएन आईएसओ; 13016-1; (डीवीपीई)
आसवन :				
- 70 डिग्री से0 पर वाष्पित	% वी/वी	24.0	40.0	ईएन-आईएसओ 3405
- 100 डिग्री से0 पर वाष्पित	% वी/वी	50.0	58.0	ईएन-आईएसओ 3405
- 150 डिग्री से0 पर वाष्पित	% वी/वी	83.0	89.0	ईएन-आईएसओ 3405
- अंतिम क्वथनांक बिंदु	डिग्री से0	190	210	ईएन-आईएसओ 3405
अवशिष्ट	% वी/वी	-	2.0	ईएन-आईएसओ 3405
हाइड्रोकार्बन विश्लेषण :				
- ओलफीन्स	% वी/वी	-	10.0	एसटीएमडी 1319
- एरोमेटिक्स	% वी/वी	29.0	35.0	एसटीएमडी 1319
- बेन्जीन	% वी/वी	-	1.0	एसटीएमडी 1319
- संतृप्त	% वी/वी	रिपोर्ट	रिपोर्ट	प्र.ईएन 12177
कार्बन / हाइड्रोजन अनुपात		रिपोर्ट		एसटीएमडी 1319
अधिष्ठापन अवधि (2)	मिनट	480	-	ईएन-आईएसओ 7536
आक्सीजन तत्व	% एम/एम	-	1.0	ईएन 1601
एक्सिसटेंट गम	मिग्रा/मिली	-	0.04	ईएन-आईएसओ 6246
सल्फर तत्व (3)	मिग्रा/किग्रा	-	10	एसटीएमडी 5453
ताम्र क्षरण		-	श्रेणी 1	ईएन-आईएसओ 2160
सीसा तत्व	मिग्रा/ली	-	5	ईएन 237
फास्फोरस तत्व	मिग्रा/ली	-	1.3	एसटीएमडी 3231
<p>(1) विनिर्देशों में उद्धृत मान "वास्तविक मान" हैं । उनका सीमा मान स्थापित करने के लिए आई एस ओ 4259 पेट्रोलियम उत्पाद - परीक्षण की पद्धति के संबंध में सूक्ष्मता डाटा के अवधारण और अनुप्रयोग के निबंधनों का पालन किया गया है और न्यूनतम मान नियत करने में शून्य से उपर 2 आर का न्यूनतम अंतर गणना में लिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम मान निर्धारित करने में न्यूनतम अंतर 4 आर (आर = पुनःउत्पादन क्षमता) है । इस माप के होते हुए भी जो तकनीकी कारणों से आवश्यक है, ईंधन उत्पादकों का उद्देश्य शून्य मान होना चाहिए जहां अनुबंधित अधिकतम मान 2 आर है तथा अधिकतम और न्यूनतम सीमा उद्धरण की दशा में मध्य मान है । क्या इस प्रश्न को स्पष्ट करना आवश्यक होना चाहिए कि क्या ईंधन विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, आई एस ओ 4259 के निबंधन लागू होने चाहिए ।</p> <p>(2) ईंधन में ऑक्सीकरण निरोधक और रिफाइनरी गैसोलीन स्ट्रीम को स्थिर करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त धातु निष्क्रिय कारक हो सकते हैं किंतु डिटरजेंट/विक्षेपक योग्य एवं विलायक तेल नहीं मिलाए जाएं ।</p> <p>(3) प्रकार 1 परीक्षण के लिए प्रयुक्त ईंधन के वास्तविक सल्फर तत्व की रिपोर्ट दी जाएगी ।</p>				

उपाबंध - IV ट

[नियम 115(15) देखें]

डीजल इंजनों से सुसज्जित परीक्षण यानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट ईंधन के तकनीकी विनिर्देश ।

मापदंड	इकाई	सीमाएं ⁽¹⁾		परीक्षण पद्धति
		न्यूनतम	उच्चतम	
सीटैन संख्या ⁽²⁾		52.0	54.0	ईएन-आईएसओ 5165
15 डिग्री से0 पर घनत्व	किग्रा/एम ³	833	837	ईएन-आईएसओ 3675
रीड वाष्प दबाव	केपीए	56.0	60.0	पीआरईएन आईएसओ 13016-1 (डीवीपीई)
आसवन :				
- 50% प्वाइंट	डिग्री से0	245	-	ईएन-आईएसओ 3405
- 95% प्वाइंट	डिग्री से0	345	350	ईएन-आईएसओ 3405
- अंतिम क्वथनांक बिंदु	डिग्री से0	-	370	ईएन-आईएसओ 3405
फ्लेश प्वाइंट	डिग्री से0	55	-	ईएन 22719
सीएफपीपी	डिग्री से0	-	-5	ईएन 116
40 डिग्री से0 पर श्यानता	मिमी ² /एस	2.3	3.3	ईएन-आईएसओ 3104
पोलीसाइक्लिक एरोमैटिकहाइड्रोकार्बन	% एम/एम	3.0	6.0	आईपी 391
सल्फर तत्व ⁽³⁾	मिग्रा/किग्रा	-	10	एसटीएमडी 5453
ताम क्षरण		-	श्रेणी 1	ईएन-आईएसओ 2160
कॉनरेडसन कार्बन अवशिष्ट (10% डीआर)	% एम/एम	-	0.2	ईएन-आईएसओ 10370
भस्म तत्व	% एम/एम	-	0.01	ईएन-आईएसओ 6245
जल तत्व	% एम/एम	-	0.02	ईएन-आईएसओ 12937
न्यूट्रलाइजेशन (गाढा अम्ल) संख्या	मिग्रा केओएच/जी	-	0.02	एसटीएमडी 974
आक्सीकरण स्थिरता (4)	मिग्रा/मिली	-	0.025	ईएन-आईएसओ 12205
लुब्रिसिटी (60 डिग्री से0 पर एचएफआरआर वियर डायमीटर)	माइक्रोमीटर	-	400	सीईसी एफ-06-ए-96
एफएएमई	प्रतिषिद्ध			

(1) विनिर्देशों में उद्धृत मान "वास्तविक मान" हैं। उनका सीमा मान स्थापित करने के लिए आई एस ओ 4259 पेट्रोलियम उत्पाद - परीक्षण की पद्धति के संबंध में सूक्ष्मता डाटा के अवधारण और अनुप्रयोग के निबंधनों का पालन किया गया है और न्यूनतम मान नियत करने में शून्य से उपर 2 आर का न्यूनतम अंतर गणना में लिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम मान निर्धारित करने में न्यूनतम अंतर 4 आर (आर = पुनः उत्पादन क्षमता) है। इस माप के होते हुए भी जो तकनीकी कारणों से आवश्यक है, ईंधन उत्पादकों का उद्देश्य शून्य मान होना चाहिए जहां अनुबंधित अधिकतम मान 2 आर है तथा अधिकतम और न्यूनतम सीमा उद्धरण की दशा में मध्य मान है। क्या इस प्रश्न को स्पष्ट करना आवश्यक होना चाहिए कि क्या ईंधन विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, आई एस ओ 4259 के निबंधन लागू होने चाहिए।

(2) सीटैन संख्या की रेंज, 4 आर न्यूनतम रेंज की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है। तथापि, ईंधन प्रदायकर्ता और ईंधन उपयोक्ता के बीच विवाद की स्थिति में ऐसे विवाद के समाधान के लिए आई एस ओ 4259 के निबंधन लागू होने चाहिए परंतु एकल अवधारण के लिए अधिमान करते हुए आवश्यक सूक्ष्मता हेतु पर्याप्त संख्या में दोहरी माप की गई हो।

(3) प्रकार 1 परीक्षण के लिए प्रयुक्त ईंधन के वास्तविक सल्फर तत्व की रिपोर्ट दी जाएगी।

(4) यद्यपि आक्सीकरण स्थिरता नियंत्रित है, संभावना है कि शैल्फ आयु सीमित होगी। भंडारण की स्थिति और आयु के संबंध में आपूर्तिकर्ता से परामर्श लिया जाना चाहिए।

उपाबंध - IV ठ
[नियम 115 (15) देखें]
सीएनजी के लिए निर्देशित ईंधन के विनिर्देश

3500 किग्रा से अनधिक सकल यान भार वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन यानों और ट्रुहिया एवं तिपहिया यानों के लिए सीएनजी निर्देशित ईंधन।

विशेषताएं	इकाई	आधार	सीमाएं		परीक्षण विधि
			न्यूनतम	अधिकतम	
निर्देशित ईंधन जी₂₀					
<i>संमिश्रण:</i>					
मिथेन	% मोल	100	99	100	आईएसओ 6974
अविशेष ⁽¹⁾	% मोल	-	-	1	आईएसओ 6974
एन ₂	% मोल				आईएसओ 6974
सल्फर तत्व	मिग्रा/एम ³ ⁽²⁾	-	-	10	आईएसओ 6326-5
वॉब सूचकांक (शुद्ध)	एम ₁ /एम ³ ⁽³⁾	48.2	47.2	49.2	
निर्देशित ईंधन जी₂₅					
<i>संमिश्रण:</i>					
मिथेन	% मोल	86	84	88	आईएसओ 6974
अविशेष ⁽¹⁾	% मोल	-	-	1	आईएसओ 6974
एन ₂	% मोल	14	12	16	आईएसओ 6974
सल्फर तत्व	मिग्रा/एम ³ ⁽²⁾	-	-	10	आईएसओ 6326-5
वॉब सूचकांक (शुद्ध)	एम ₁ /एम ³ ⁽³⁾	39.4	38.2	40.6	
(1) अवस्थित (एन ₂ से भिन्न) + सी ₂ + सी ₂₊ .					
(2) मान 293, 2 के (20° से.) एवं 101.3 केपीए पर अवधारित किया जाना है।					
(3) मान 273, 2 के (0° से.) एवं 101.3 केपीए पर अवधारित किया जाना है।					

उपर्युक्त प्रकार के यानों के परीक्षण दोनों प्रकार के निर्देशित ईंधनों के साथ किया जाना चाहिए।

3500 किग्रा सकल यान भार से अधिक के यानों के लिए सीएनजी निर्देशित ईंधन

विशेषताएं	इकाई	आधार	सीमाएं		परीक्षण विधि
			न्यूनतम	अधिकतम	
निर्देशित ईंधन जी_{3AR}					
<i>संमिश्रण:</i>					
मिथेन		87	84	89	
ईथेन		13	11	15	
अविशेष ⁽¹⁾	% - मोल	-	-	1	आईएसओ 6974
सल्फर तत्व	मिग्रा/एम ³ ⁽²⁾	-	-	10	आईएसओ 6326-5
(1) अवस्थित + सी ₂₊					
(2) मान मानक दशाओं (293.2 के (25°से.) और 101.3 केपीए) पर अवधारित किया जाना है ।					

विशेषताएं	इकाई	आधार	सीमाएं		परीक्षण विधि
			न्यूनतम	अधिकतम	
निर्देशित ईंधन जी₂₃					
<i>संमिश्रण:</i>					
मिथेन		92.5	91.5	93.5	
अविशेष ⁽¹⁾	% - मोल	-	-	1	आईएसओ 6974
एन ₂		7.5	6.5	8.5	
सल्फर तत्व	मिग्रा/एम ³ ⁽²⁾	-	-	10	आईएसओ 6326-5
(1) अवस्थित (एन ₂ से भिन्न)+ सी ₂ +सी ₂₊ .					
(2) मान मानक दशाओं (293.2 के (20°सी) एवं 101.3 केपीए) पर अवधारित किया जाना है ।					

विशेषताएं	इकाई	आधार	सीमाएं		परीक्षण विधि
			न्यूनतम	अधिकतम	
निर्देशित ईंधन जी₂₅					
<i>संमिश्रण:</i>					
मिथेन		86	84	89	
अविशेष ⁽¹⁾	% - मोल	-	-	1	आईएसओ 6974
एन ₂		14	12	16	
सल्फर तत्व	मिग्रा/एम ³ ⁽²⁾	-	-	10	आईएसओ 6326-5
(1) अवस्थित (एन ₂ से भिन्न) + सी ₂ + सी ₂₊ .					
(2) मान मानक दशाओं (293.2 के (20°से.) एवं 101.3 केपीए) पर अवधारित किया जाना है ।					

उपाबंध - IV ड

[नियम 115(15) देखें]

(एलपीजी के लिए निर्देशित ईंधन के विनिर्देश)

3500 किग्रा से अनधिक सकल यान भार वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन गानों और दुपहिया एवं तिपहिया यानों के लिए एलपीजी निर्देशित ईंधन।

मापदंड	इकाई	ईंधन क	ईंधन ख	परीक्षण विधि
सम्मिश्रण				आईएसओ 7941
सी ₃ -तत्व	% आयतन	30±2	85±2	
सी ₄ -तत्व	% आयतन	अतिशेष	अतिशेष	
<सी ₃ , >सी ₄	% आयतन	अधिकतम 2	अधिकतम 2	
ओलफीन्स	% आयतन	अधिकतम 12	अधिकतम 15	
वाष्पीकरण अवशिष्ट	मिग्रा/किग्रा	अधिकतम 50	अधिकतम 50	आईएसओ 13757
0° से. पर जल		मुक्त	मुक्त	दृश्य निरीक्षण
कुल सल्फर तत्व	मिग्रा/किग्रा	अधिकतम 10	अधिकतम 10	ईएन 24260
हाइड्रोजन सल्फाइड		कोई नहीं	कोई नहीं	आईएसओ 8819
ताम स्ट्रिप क्षरण	दर निर्धारण	वर्ग 1	वर्ग 1	आईएसओ 6251 ⁽¹⁾
गंध		विशेषताएं	विशेषताएं	
मोटर ऑक्टेन संख्या		न्यूनतम 89	न्यूनतम 89	ईएन 589 उपाबंध ख

(1) इस पद्धति से क्षरण धातुओं की उपस्थिति का सही-सही निर्धारण नहीं किया जा सकता यदि नमूना में क्षरण निरोधक अथवा अन्य रसायन हैं जो ताम स्ट्रिप के नमूना की क्षरणता कम करते हैं। इसलिए ऐसे संघटकों के अतिरिक्त परीक्षण पद्धति की अभिनति के एकमात्र प्रयोजन से ऐसे मिश्रण का प्रयोग प्रतिषिद्ध है।

3500 किग्रा सकल यान भार से अधिक के यानों के लिए एलपीजी निर्देशित ईंधन

मापदंड	इकाई	ईंधन क	ईंधन ख	परीक्षण विधि
सम्मिश्रण				आईएसओ 7941
सी ₃ -तत्व	% आयतन	50±2	85±2	
सी ₄ -तत्व	% आयतन	शेष	शेष	
<सी ₃ , >सी ₄	% आयतन	अधिकतम 2	अधिकतम 2	
ओलफीन्स	% आयतन	अधिकतम 12	अधिकतम 14	
वाष्पीकरण अवशिष्ट	मिग्रा/किग्रा	अधिकतम 50	अधिकतम 50	आईएसओ 13757
0° से 0 पर जल		मुक्त	मुक्त	दृश्य निरीक्षण
कुल सल्फर तत्व	मिग्रा/किग्रा	अधिकतम 10	अधिकतम 10	ईएन 24260
हाइड्रोजन सल्फाइड		कोई नहीं	कोई नहीं	आईएसओ 8819
ताम स्ट्रिप क्षरण	दर निर्धारण	वर्ग 1	वर्ग 1	आईएसओ 6251 ⁽¹⁾
गंध		विशेषताएं	विशेषताएं	
मोटर ऑक्टेन संख्या		न्यूनतम. 92.5	न्यूनतम. 92.5	ईएन 589 उपाबंध ख

(1) इस पद्धति से क्षरण धातुओं की उपस्थिति का सही-सही निर्धारण नहीं किया जा सकता यदि नमूना में क्षरण निरोधक अथवा अन्य रसायन हैं जो ताम स्ट्रिप के नमूना की क्षरणता कम करते हैं। इसलिए ऐसे संघटकों के अतिरिक्त परीक्षण पद्धति की अभिनति के एकमात्र प्रयोजन से ऐसे मिश्रण का प्रयोग प्रतिषिद्ध है।

उपाबंध - IV ढ

[नियम 115 (15) देखें]

वाणिज्यिक गैसोलीन ईंधन के विनिर्देश

विशेषताएं	इकाई	अपेक्षाएं	
		सीसा रहित नियमित	सीसा रहित प्रीमियम
रंग, दृश्य		नारंगी	लाल
15 ⁰ से पर घनत्व	किग्रा/एम ³	720-775	720-775
आसवन :			
क) 70 ⁰ से. (ई 70) तक प्रतिप्राप्ति	% आयतन	10-45	10-45
ख) 100 ⁰ से. (ई 100) तक प्रतिप्राप्ति	% आयतन	40-70	40-70
ग) 150 ⁰ से. (ई 150) तक प्रतिप्राप्ति	% आयतन	75 न्यूनतम	75 न्यूनतम
घ) अंतिम क्वथनांक (एफबीपी), अधिकतम	°से	210	210
ड.) अवशिष्ट, अधिकतम	% आयतन	2	2
रिसर्च ऑक्टेन संख्या (आरओएन) न्यूनतम		91	95
मोटर ऑक्टेन संख्या (एमओएन), न्यूनतम		81	85
गम तत्व (विलायक प्रवाह), अधिकतम	मिग्रा/100मिली	5	5
आक्सीकरण स्थिरता, न्यूनतम	मिनट	360	360
सल्फर, कुल, अधिकतम	मिग्रा/किग्रा	50	50
सीसा तत्व (पीवी के रूप में), अधिकतम	ग्रा/ली	0.005	0.005
रीड वाष्प दबाव (आरवीपी), अधिकतम	केपीए	60	60
वाष्प लॉक सूचकांक (वीएलआई)			
क) ग्रीष्म, अधिकतम		750	750
ख) अन्य मास, अधिकतम		950	950
बेन्जीन तत्व, अधिकतम	% आयतन	1	1
50 ⁰ से पर 3 घंटे के लिए ताम स्ट्रिप क्षरण, अधिकतम	दर निर्धारण	श्रेणी 1	श्रेणी 1
ऑलफिन तत्व, अधिकतम	% आयतन	21	18
एरोमैटिक्स तत्व, अधिकतम	% आयतन	35	35
आक्सीजन तत्व, अधिकतम	% द्रव्यमान	2.7	2.7
आक्सीजनीकरण तत्व			
क) मीथानॉल, अधिकतम	% आयतन	3	3
ख) ईथानॉल, अधिकतम	% आयतन	5	5
ग) आइसो-प्रोपिल अल्कोहल, अधिकतम	% आयतन	10	10
घ) आइसो-बूटाइल अल्कोहल, अधिकतम	% आयतन	10	10
ड.) तृतीयक-बूटाइल अल्कोहल, अधिकतम	% आयतन	7	7
च) पति अणु पांच अथवा अधिक कार्बन परमाणु युक्त ईथर, अधिकतम	% आयतन	15	15
छ) अन्य आक्सीजनीकरण, अधिकतम	% आयतन	8	8
टिप्पण :			
<ol style="list-style-type: none"> परीक्षण विधि और अन्य उपबंधों के ब्यारे और उपर्युक्त अपेक्षाएं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी की जाएंगी । 89 आरओएन और 79 एमओएन का पेट्रोल जिसमें उपर्युक्त सीसा रहित नियमित ग्रेड की तरह अन्य सभी गुण होंगे, पुराने यानों की अपेक्षाएं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगी जो पूर्व-यूरो III समतुल्य यान उत्सर्जन मानकों को पूरा करेंगे । पेट्रोल में फारफोरस तत्व के लिए टाइप परीक्षण की शुरुआत की जाएगी । इन मानक विनिर्देशों को ऑटो ईंधन नीति के अनुसार ऑटोमोबाइल एवं तेल उद्योग के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है । 			

उपाबंध - IV ण

[नियम 115 (15) देखें]

वाणिज्यिक डीजल ईंधन के विनिर्देश

विशेषताएं	इकाई	अपेक्षाएं
भस्म, अधिकतम	% द्रव्यमान	0.01
10 % अवशेष पर कार्बन अवशेष (रेम्सबॉटम), अधिकतम	% द्रव्यमान	0.3 संयोजक रहित
सीटेन संख्या (सीएन), न्यूनतम		51
सीटेन सूचकांक (सीआई), न्यूनतम		46
आसवन :		
°से., अधिकतम पर 95% आयतन प्रतिप्राप्ति	°से	360
फ्लेश प्वाइंट :		
क) अबेल, न्यूनतम	°से	35
40 °से. पर कायनेमेटिक श्यानता	सीएसटी	2.0-4.5
15 °से पर घनत्व	किग्रा/एम ³	820-845
कुल सल्फर, अधिकतम	मिग्रा/किग्रा	50
जल तत्व, अधिकतम	मिग्रा/किग्रा	200
कोल्ड फिल्टर प्लगिंग प्वाइंट (सीएफपीपी)		
क) ग्रीष्म, अधिकतम	°से	18
ख) शीत, अधिकतम	°से	6
कुल संदूषण तत्व, अधिकतम	मिग्रा/किग्रा	24
आक्सीकरण स्थिरता, अधिकतम	ग्रा/एम ³	25
पोलीसाइक्लिक एरोमैटिकहाइड्रोकार्बन (पीएएच), अधिकतम	% द्रव्यमान	11
60° से. अधिकतम पर ल्यूब्रिसिटी, शोधित वियर स्कार डायमीटर (डब्ल्यूएसडी 1,4)	μएम (मायक्रोन)	460
50°से पर 3 घंटे के लिए ताम स्ट्रिप क्षरण	दर निर्धारण	वर्ग - 1
टिप्पण :		
<ol style="list-style-type: none"> ये घनत्व और 95 % आसवन प्रतिप्राप्ति तापमान सीमाएं कंपनी पूल औसत मान होंगी । तथापि, सभी नमूने 820-860 किग्रा/एम³ की 15°से. की दर से घनत्व और 370° से. पर 95% न्यूनतम आसवन प्रतिप्राप्ति को पूरा करेंगे । असम कूड से शोधित डीजल के लिए 3 इकाई और घनत्व तक सीएन एवं सीआई की छूट वर्तमान बीआईएस विनिर्देश में यथा उपबंधित लागू होगी । परीक्षण विधि और अन्य उपबंधों के ब्योरे और उपर्युक्त अपेक्षाएं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी की जाएंगी । इन मानक विनिर्देशों को ऑटो ईंधन नीति के अनुसार आटोमोबाइल एवं तेल उद्योग के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है । 		